राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –1751/2012/भीलवाड़ा

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा ....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स रजत सूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड,
डी–1, मयूर काम्प्लैक्स, गांधीनगर, भीलवाड़ा .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा
उप–राजकीय अधिवक्ता .....राजस्व की ओर से

अनुपस्थित .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 19.05.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त अपील्स, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 86/वेट/11–12 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 28.06.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा (जिसे आगे ''सशक्त अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 29.09.2011 के जरिये शास्ति ₹ 43,371/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा जांच के दौरान मैसर्स नूतन कार्गो मूवर्स, भीलवाड़ा पर बिल्टी संख्या 75012 को चैक किया गया। बिल्टी के साथ बिल संख्या 335 दिनांक 29.09.2011 एवं घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 5582115 अवधिपार व अपूर्ण भरा हुआ पाया गया जो नियम 76(2)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर आरोपित मांग राशि को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. प्रत्यर्थी व्यवहारी बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. एकपक्षीय बहस सुनी गई व उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि केवल घोषणा पत्र के अवधिपार होने के आधार पर शास्ति का आरोपण किया गया है। हस्तगत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि वक्त जांच माल संबंधी दस्तावेजों में घोषणा प्ररूप वैट–47 उपलब्ध था, एवं

लगातार.....2

अन्य वांछित दस्तावेजात जी.आर., इन्वॉयस, बिल्टी, आदि वक्त चैकिंग मौजूद थे। अपीलीय आदेश के अध्ययन एवं रेकार्ड के परिशीलन से पाया गया कि प्रस्तुत घोषणा पत्र पर वैधता की अवधि सम्बन्धी आवश्यक मुहर या उल्लेख नही था जिससे प्रत्यर्थी को अवधि पार होने का ज्ञान नहीं रहा है उक्त परिस्थिती में केवल घोषणा पत्र के अवधि पार होने के आधार पर शास्ति आरोपणीय नहीं है क्योंकि माननीय कर बोर्ड एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी ऐसे मामलों में तकनीकी त्रुटि माना गया है। इस के अलावा प्रस्तुत घोषणा पत्र में महत्वपूर्ण प्रविष्टियां की पूर्ति होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 76(6) की शास्ति ₹ 43,371/— को उचित रुप से अपास्त किया गया है।

फलतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से आदेश दिनांक 28.06.2012 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

29/5/2012

के.एल.जैन
(सदस्य)